

म. प्र. राजस्व मण्डल केन्द्रीय कार्यालय  
न्यायालय माननीय

प्रकरण क्रमांक

A 518-II/08

जनक नगल पिता मनोहरलाल नागल  
उद्योग अध्याय कर्तरीय कामगार सेना  
म.प्र. नि. 19, पेल्लेस रोड रतलाम  
-अपील पट

विरुद्ध

- 1- सुरेश गुर्जर पिता भूरान्ना ल जी गुर्जर  
पूर्व अध्यक्ष श्री देवारायण धर्मराव  
देवारा ट्रस्ट राजगढ रतलाम नि. 104  
सुखसागर अपार्टमेंट जनकीनगर नवलखा  
बस स्टेशन के सामने इन्दौर
- 2- अनु विभागीय अधिकारी एवं रजिस्टार  
पब्लिक ट्रस्ट रतलाम ।
- 3- गणेश पिता स्व. रामफूल गुर्जर नि. 132,  
बी- जवाहर नगर वर्तमान  
अध्यक्ष देवारायण धर्मराज देवरा  
ट्रस्ट रतलाम राजगढ रतलाम

-रिस्पाडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा

पब्लिक ट्रस्ट एक्ट

माननीय महोदय

प्रकरण के संसिद्धाप्त तथ्य :

यह कि प्रकरण के संसिद्धाप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्राथी  
हिन्दू धर्मावलम्बी है तथा श्री देवारायण ट्रस्ट में आस्था रखता है  
तथा देवारायण मन्दिर का धर्मत है तथा इस मन्दिर से आस्था है  
बुझी हुई है इस कारण से प्राथी को ज्ञात हुआ कि रिस्पाडेण्ट्स  
क्रमांक एक के द्वारा अवैधानिक तरीके से मन्दिर की अमूल्य सम्पत्ति  
अफरा तफरा किया जाकर लोगों का गबन किया गया तथा कराँडों  
की सम्पत्ति को जेबे में रखने के लिए देवारायण मन्दिर से अलग कर दिया गया

श्री म. प्र. आर. यादव  
अभिभाषक काश  
उज्जैन केन्द्र पर प्रस्तुत  
9/5/08

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ  
 A 518-II 108 ..... जिला ..... 2.9.2017 .....  
 प्रकरण क्रमांक.....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
<p><u>23.11.2016</u></p>	<p>आवेदन की ओर से श्री अरवकाक          कुंशी अभिभाषक उपस्थित। उनके          डाटा प्रकरण ससम-शामाकर में          प्रस्तुत किये जाने हेतु कार्रवाई किये          जाने का अनुरोध किया गया। अनुरोध          स्वीकार किया जाता है। प्रकरण          कार्रवाई किये जाने के कारण समाप्त          किया जाता है।</p>	<p><i>(Signature)</i>          अरवकाक</p>